तथ्य पत्रक – लगातार चलने वाला स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेश (Ongoing School Community Safety Order)

लगातार चलने वाला स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेश क्या होता है?

प्रधानाचार्यों और शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training) के कर्मियों जैसे कुछ लोगों को 'प्राधिकृत व्यक्ति' कहा जाता है। जब आप स्कूल जाते/जाती हैं या उसके साथ संलग्न होते हैं, तो उनके पास आपके लिए नियमों का निर्धारण करने वाले आदेश बनाने की शक्ति है जिनका आपको पालन करना होता है।

आदेश आपको स्कूल के परिसर या ऐसे अन्य स्थलों पर प्रवेश करने या वहाँ उपस्थित रहने से रोक सकता है, जहाँ स्कूल की गतिविधियाँ होती हैं। आदेश में यह कहा जा सकता है कि कुछ विशिष्ट समयों पर स्कूल में या ऐसे अन्य स्थानों पर जहाँ स्कूल की गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ आपको कुछ लोगों के साथ किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। आदेश में विशिष्ट परिस्थितियाँ शामिल हो सकती हैं, जैसे वे समय, या वे क्षेत्र जहाँ आदेश लागू नहीं होता है।

आपको यह आदेश इसलिए दिया गया है, ताकि स्कूल में शिक्षक/शिक्षिकाएँ, छात्र/छात्राएँ और अन्य लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेशों के बारे में और अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त की जा सकती है। आप यहाँ एक वीडियो देख सकते/सकती हैं जिससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि स्कूल समुदाय सुरक्षा आदेश क्या करते हैं।

आदेश कितने समय के लिए लागू रहता है?

आदेश आपको यह भी बताता है कि ये नियम कब तक लागू रहेंगे। वे अधिकतम 12 महीनों की अवधि के लिए लागू रह सकते हैं।

मैं स्कूल को कैसे बता सकता/सकती हूँ कि मैं आदेश बनाए जाने से असहमत हूँ?

किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आदेश बनाए जाने से पहले उन्हें आपको बताना आवश्यक होता है कि वे एक आदेश बनाने के बारे में सोच रहे हैं और उनके विचार में उन्हें आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों है। आप यह समझाने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष एक 'प्रस्तुति' जमा कर सकते/सकती हैं कि आपने उस तरीके से व्यवहार क्यों किया, यह आपको या आपके बच्चे/आपकी बच्ची को कैसे प्रभावित करेगा या ऐसी कोई अन्य बात, जिसके बारे में उन्हें जानने की आवश्यकता है, ताकि वे तय कर सकें कि उन्हें आदेश बनाना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए, आप प्राधिकृत व्यक्ति को यह बताने के/की इच्छुक हो सकते/सकती हैं कि आपके बच्चे/आपकी बच्ची को कोई विकलांगता है, ताकि प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएँ कर सकें कि आप स्कूल जाने के लिए उन्हें समर्थित करना जारी रख सकते/सकती हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यह बताए जाने के बाद कि वे आदेश जारी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास प्रस्तुति जमा करने के लिए 7 दिनों का समय होता है। यदि आपको प्रस्तुति जमा करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है, तो आप समय मांग सकते/सकती हैं।

लिखित प्रस्तुति प्राधिकृत व्यक्ति को भेजी गई ईमेल या पत्र हो सकता है। आप शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training website) की वेबसाइट पर यहाँ उपलब्ध टेम्पलेट का प्रयोग कर सकते/सकती हैं।

यदि आप प्रस्तुति लिखना नहीं चाहते/चाहती हैं, तो इसके बजाय आप एक मौखिक प्रस्तुति देने के लिए पूछ सकते/सकती हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति से भी आपकी ओर से प्रस्तुति जमा करने के लिए पूछ सकते/सकती हैं, जैसे आपका विकलांगता समर्थन-व्यक्ति या दुभाषिया।

यदि मेरा बच्चा/मेरी बच्ची स्कूल में है, तो मुझे लगातार चलने वाले आदेश का पालन करने की आवश्यकता होने पर अब उनके साथ क्या होता है?

आपके स्कूल ने इस बारे में ध्यान से सोचा है कि आदेश आपके बच्चे/आपकी बच्ची को कैसे प्रभावित करेगा और आप उनकी देखभाल कैसे करते/करती हैं। आदेश का उद्देश्य आपको उनकी देखभाल करने या उनकी शिक्षा में शामिल होने से रोकना नहीं है।

आपका स्कूल आपको आदेश देने के बाद जितनी जल्दी हो सके, आपको एक 'संचार और पहुँच प्रोटोकॉल' (‘Communications and Access Protocol’) देगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि:

- आपको अपने बच्चे/अपनी बच्ची की शिक्षा के बारे में कैसे बताया जा सकता है
- आपका बच्चा/आपकी बच्ची स्कूल जाना और सुरक्षित रूप से स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना कैसे जारी रख सकता/सकती है
- वे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे कि आपके बच्चे/आपकी बच्ची को समर्थित किया जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है।

यदि मैं आदेश का पालन नहीं करता/करती हूँ, तो क्या होगा?

यदि आप आदेश में निर्धारित किए गए नियमों का पालन नहीं करते/करती हैं, तो आपसे आदेश का पालन करवाने के लिए स्कूल मजिस्ट्रेट न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

यदि मजिस्ट्रेट न्यायालय यह फैसला लेता है कि आपने किसी आदेश का पालन नहीं करने की गलती की थी, तो वे:

- आपके ऊपर आवश्यक जुर्माना लगा सकते हैं
- आपके लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य बना सकते हैं
- आदेश के पालन के लिए आपके ऊपर कुछ विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता लागू कर सकते हैं
- न्यायालय के विचार में कोई अन्य उपयुक्त कार्य करने की आवश्यकता आपके ऊपर लागू कर सकते हैं।

आदेश का पालन नहीं करने के कारण आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, या आपको आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक दंड नहीं दिया जाएगा।

यदि मुझे आदेश के बदले जाने की आवश्यकता है, तो क्या होगा?

यदि आप किसी आदेश में नियमों को हटाए या परिवर्तित किए जाने के इच्छुक हैं, तो आप इन परिवर्तनों के लिए आदेश जारी करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति से पूछ सकते/सकती हैं। यदि प्राधिकृत व्यक्ति सहमत होता है, तो उन्हें आपको परिवर्तित आदेश की एक लिखित प्रति देने की आवश्यकता होगी। यदि वे असहमत होते हैं, तो प्राधिकृत व्यक्ति को उन्हीं आवश्यकताओं का पालन करना होगा जो लगातार चलने वाला आदेश बनाते समय लागू थीं।

यदि कोई प्राधिकृत व्यक्ति किसी आदेश में नए नियम जोड़े जाना चाहता है, तो प्राधिकृत व्यक्ति को उन्हीं आवश्यकताओं का पालन करना होगा जो लगातार चलने वाला आदेश बनाते समय लागू थीं।

यदि मैं आदेश की अपील करना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या होगा?

आप निम्नलिखित कारणों से आदेश की अपील करने के लिए अपने स्कूल के समक्ष आवेदन कर सकते/सकती हैं:

- यदि आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि आपके विरुद्ध आदेश जारी किया जाना चाहिए था
- यदि आपने प्राधिकृत व्यक्ति से आदेश में कुछ बदलने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है और आप इस निर्णय से खुश नहीं हैं
- यदि प्राधिकृत व्यक्ति ने आदेश बदल दिया है और आप इस निर्णय से खुश नहीं हैं
- यदि प्राधिकृत व्यक्ति ने आदेश को रद्द नहीं करने का फैसला लिया है और आप इस निर्णय से खुश नहीं हैं

आंतरिक समीक्षा निर्णय के लिए आपके आवेदन को प्राधानाचार्य के पास भेजे जाने के बाद 28 दिनों का समय लग सकता है। आपके विरुद्ध आदेश जारी किए जाने के कारणों और आपकी प्रस्तुति में प्रदान किए गए कारणों का सावधानीपूर्वक आकलन करने के लिए इस समय का उपयोग किया जाता है।

आंतरिक समीक्षक आदेश में परिवर्तन कर सकता है, आदेश को रद्द कर सकता है या इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। एक बार निर्णय ले लिए जाने के बाद आपको ईमेल और/या डाक के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा और लिए गए निर्णय को समझने में आपकी मदद के लिए आपको आंतरिक समीक्षा परिणाम के कारणों की एक प्रति प्राप्त होगी।

यदि आप आंतरिक समीक्षा के परिणाम से खुश नहीं हैं, तो आप विक्टोरिया के नागरिक और प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Victorian Civil and Administrative Tribunal) में निर्णय की अपील कर सकते/सकती हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training) की वेबसाइट पर यहाँ मिल सकती है।

यदि मुझे अनुवादक/दुभाषिए या किसी अन्य समर्थन की आवश्यकता है, तो क्या होगा?

यदि आपको अनुवादक, दुभाषिए या समर्थन व्यक्ति की आवश्यकता है, तो आप स्कूल के प्रधानाचार्य को बता सकते/सकती हैं जो समर्थन प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

यदि आपका बच्चा/आपकी बच्ची सरकारी स्कूल में जाता है, तो और अधिक समर्थन के लिए आप शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training) के क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते/सकती हैं।

उत्तर पूर्वी विक्टोरिया फोन: 1300 333 231 ईमेल: nevr@education.vic.gov.au	उत्तर पश्चिमी विक्टोरिया फोन: 1300 338 691 ईमेल: nwvr@education.vic.gov.au
दक्षिण पूर्वी विक्टोरिया फोन: 1300 338 738 ईमेल: sevr@education.vic.gov.au	दक्षिण पश्चिमी विक्टोरिया फोन: 1300 333 232 ईमेल: swvr@education.vic.gov.au

यदि मैं और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या होगा?

आप और अधिक जानकारी के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Education and Training) की वेबसाइट पर यहाँ जा सकते/सकती है।